

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद  
(अरुण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)  
पंचायत रिवीजन संख्या: 29/2022  
दायर दिनांक: 10.10.2022  
निर्णय दिनांक 06.03.2026

—: अनवान :-

1. ग्राम पंचायत सेलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमसंद जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सेलागुडा पंचायत समिति आमेट जिला राजसमंद (राज.)
2. ग्राम पंचायत सेलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमंद जरिये सचिव ग्राम पंचायत सेलागुडा पंचायत समिति आमेट जिला राजसमंद (राज.)

— निगराकारगण

बनाम

श्री हीरालाल पिता कन्हैयालाल जी जाति कुमावत उम्र 35 वर्ष निवासी ढेलाणा तहसील आमेट जिला राजसमंद (राज.)

— गैर निगराकार

निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 पट्टा संख्या 06 दिनांक: 22.07.2019 जारी द्वारा ग्राम पंचायत सेलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमंद (राज.)

उपस्थित :-

1. श्री मुकेश देवपुरा, अधिवक्ता प्रार्थी / निगराकार
2. अप्रार्थी अनुपस्थित

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगराकार ने निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम ग्राम पंचायत सेलागुडा द्वारा पट्टा संख्या 06 दिनांक 22.07.2019 से व्यथित होकर निगरानी याचिका प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत सेलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमसंद के



*Arh*

तत्कालीन सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत सेलागुडा तहसील आमेट द्वारा विपक्षिया को ग्राम डेलाणा तहसील आमेट जिला राजसमंद के आराजी नं 589 रकबा 0.1700 हैक्टेयर किस्म मंगरी ग्राम आबादी के विस्तार हेतु आरक्षित भूमि में से 1350 वर्गफिट अर्थात 150 वर्ग गज का पट्टा संख्या 06 दिनांक 22.07.2019 को सकल्प संख्या 3 के जरिये पट्टा संख्या 06 बुक नं. 305 से राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत पट्टा जारी किया। उक्त पट्टा जारी होने के उपरांत समस्त ग्रामवासियान ग्राम डेलाणा ग्राम पंचायत सेलागुडा द्वारा पंचायत समिति कार्यालय आमेट में पूर्व सरपंच श्री नेनाराम रेगर एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी द्वारा नियम विरुद्ध जारी किए पट्टों की जांच करने के संबंध में शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर कार्यालय पंचायत समिति आमेट द्वारा सहायक विकास अधिकारी द्वारा जांच करवाई गयी। इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति आमेट द्वारा जांच करने पर यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम डेलाणा में जो पट्टे जारी किए गए हैं, वह नियमानुसार सही नहीं है, ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की पालना नहीं कि जाकर विभिन्न लाभार्थियों को पट्टे जारी किये हैं जिसके स्वयं के गृह/गृहस्थल होने के कारण तथा पात्र वर्ग की श्रेणी में नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 158 के तहत जारी पट्टों में नियमों की पालना नहीं की गयी है तथा कार्यालय पंचायत समिति आमेट के पत्र कमांक पंसआ/पंचा/जांच रिपोर्ट/2020-21/545 दिनांक 09.10.2020 के द्वारा ग्राम पंचायत सेलागुडा निगरानीकार को निगरानी प्रस्तुत करने का निर्देश प्राप्त होने से यह निगरानी निम्न आधारों पर पेश है कि विपक्षी का स्वयं का मकान ग्राम डेलाणा तहसील आमेट जिला राजसमंद में स्थित है और विपक्षी उसी मकान में अपने परिवार सहित निवास कर रहा है। विपक्षी के पूर्व में ही गृह होना साबित है इसलिए विपक्षी को आबादी भूमि का रियायती दर पर पट्टा कानूनन दिया ही नहीं जा सकता। पूर्व सरपंच द्वारा पंचायत की कीमती जमीन अनुचित लाभ प्राप्त कर सांठगांठ कर नियमों के विपरीत जाकर पट्टा जारी किया जो काबिल निरस्त है। विपक्षी को भूमिहीन कृषक बताया है जबकि विपक्षी भूमिहीन कृषक नहीं होकर विपक्षी के परिवार के पास कृषि भूमियां स्थित है, जो ग्राम डेलाणा में स्थित है। विपक्षी को केवल मात्र अनुचित रूप से लाभ पहुंचाने के आशय से पट्टा जारी किया है जबकि विपक्षी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 158 के तहत भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने की अधिकारीणी ही नहीं है। विपक्षी के पक्ष में जारी पट्टे की शिकायत ग्रामवासियों ने विकास अधिकारी आमेट को की जिसकी जांच पर विकास अधिकारी पंचायत समिति आमेट ने दिनांक 09.10.2020 को पत्र द्वारा ग्राम पंचायत सेलागुडा को निगरानी प्रस्तुत करने का आदेश प्रदान किया। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि निगरानीकार की निगरानी याचिका विरुद्ध विपक्षी स्वीकार की जाकर आदेशित किया



*Handwritten signature in blue ink.*

जावे कि जो पट्टा संख्या 05 दिनांक 22.07.2019 जारी द्वारा ग्राम पंचायत सेलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमंद को अपास्त कर खारिज किया जावे एवं निगराकार के मुकाबले अवैध व शून्य घोषित किया जावे।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/गैर निगराकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया। जो बाद तामील के प्राप्त और अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश तलेसरा द्वारा अंडरटेकिंग का प्रार्थना पत्र दिनांक 05.12.2022 को प्रस्तुत किया किन्तु उसके उपरान्त वकालतनाम प्रस्तुत नहीं किया। इसके साथ ही इस विवाद से संबंधित ग्राम पंचायत सेलागुडा द्वारा प्रस्तुत अन्य समस्त प्रत्रावलीयों में अधिवक्ता श्री मुकेश तलेसरा द्वारा वकालतनाम प्रस्तुत कर रखा था इस कारण से अब तक प्रत्येक पेशी दिनांक पर अप्रार्थी को उपस्थित बताया जा रहा था। ग्राम पंचायत सेलागुडा से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार ने अपनी निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत सेलागुडा द्वारा पट्टा संख्या 06 दिनांक 22.07.2019 से व्यथित होकर निगरानी याचिका प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत सेलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमसंद के तत्कालीन सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत सेलागुडा तहसील आमेट द्वारा विपक्षिया को ग्राम डेलाणा तहसील आमेट जिला राजसमंद के आराजी नं 589 रकबा 0.1700 हैक्टेयर किस्म मंगरी ग्राम आबादी के विस्तार हेतु आरक्षित भूमि में से 1350 वर्गफिट अर्थात 150 वर्ग गज का पट्टा संख्या 06 दिनांक 22.07.2019 को सकल्प संख्या 3 के जरिये पट्टा संख्या 06 बुक नं. 305 से राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत पट्टा जारी किया। उक्त पट्टा जारी होने के उपरांत समस्त ग्रामवासियान ग्राम डेलाणा ग्राम पंचायत सेलागुडा द्वारा पंचायत समिति कार्यालय आमेट में पूर्व सरपंच श्री नेनाराम रेगर एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी द्वारा नियम विरुद्ध जारी किए पट्टों की जांच करने के संबंध में शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर कार्यालय पंचायत समिति आमेट द्वारा सहायक विकास अधिकारी द्वारा जांच करवाई गयी। इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति आमेट द्वारा जांच करने पर यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम डेलाणा में जो पट्टे जारी किए गए हैं, वह नियमानुसार सही नहीं है, ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की पालना नहीं कि जाकर विभिन्न लाभार्थियों को पट्टे जारी किये हैं जिसके स्वयं के गृह/गृहस्थल होने के कारण तथा पात्र वर्ग की श्रेणी में नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 158 के तहत जारी पट्टों में नियमों की पालना नहीं की



*(Handwritten signature)*

गयी है तथा कार्यालय पंचायत समिति आमेट के पत्र कमांक पंसआ/पंचा/जांच रिपोर्ट/2020-21/545 दिनांक 09.10.2020 के द्वारा ग्राम पंचायत सेलागुडा निगरानीकार को निगरानी प्रस्तुत करने का निर्देश प्राप्त होने से यह निगरानी पर पेश की हैं। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि निगरानीकार की निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर पट्टा संख्या 06 दिनांक 22.07.2019 को अपास्त किया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी/निगरानीकार की एकपक्षीय की बहस पर गहन मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा ग्राम पंचायत की मूल पट्टा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। यह निगरानी याचिका ग्राम पंचायत सेलागुडा द्वारा अप्रार्थी श्री हीरालाल पिता कन्हैयालाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 06 दिनांक 22.07.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत आबादी भूमि का कमजोर वर्गों को आवंटन किया जाता है। इस आवंटन हेतु पात्रता निम्नानुसार है :- 1. अनुसूचित जाति (SC), 2. स्वच्छकार, 3. अनुसूचित जनजाति (ST), 4. पिछड़े वर्ग के सदस्य, 5. कारीगर, श्रम मजदूर पर आधारित भूमिहीन व्यक्ति, 6. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवार, 7. विकलांग, 8. घुमक्कड़ जनजातियां, 9. गाड़िया लोहार। उक्त वर्ग के लोग जिनके पास स्वयं के गृह स्थल अथवा गृह नहीं हैं, उन्हें इस नियम के तहत ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि का आवंटन किया जा सकता है तथा भूमि का पट्टा प्रारूप 23-ग में जारी किया जा सकता है।

इस प्रकरण में भूखंड के आवंटनी श्री हीरालाल पिता कन्हैयालाल जी कुमावत के आवंटन से संबंधित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस पत्रावली में न तो कोई जाति प्रमाण पत्र लिया गया है, न ही किसी राजस्व कर्मचारी अथवा पटवारी द्वारा उनके पास उपलब्ध कृषि भूमि के संबंध में कोई जांच कराई गई है। साथ ही, इसका किसी भी प्रकार से कहीं सार्वजनिक प्रकाशन किया जाकर आपत्ति आमंत्रित की गई हो या कोई पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई हो, यह भी प्रकट नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, इसमें लगे हुए शपथ पत्र पर भी कोई दिनांक अंकित नहीं है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 158 के उप-नियम (3-क) के अनुसार, इस नियम के अधीन जो भी आवंटित भूखंड किए जाते हैं, उसमें से 30% भूमि विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को आवंटित की जानी चाहिए। ग्राम पंचायत सेलागुडा की सभी पत्रावलियों को देखने पर यह जाहिर हुआ है कि नियम 158 के उप-नियम (3-क) की पालना भी नहीं की गई है।



*(Handwritten signature)*

अतः इस प्रकार बिना पात्रता की जांच किए हुए, अपारदर्शी तरीके से और पूर्णतः स्वेच्छाचारितापूर्ण व्यवहार करते हुए ग्राम पंचायत ने यह विवादित पट्टा जारी किया है, जो सभी दस्तावेजों तथा अधिवक्ता की बहस से साबित हुआ है।

इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी द्वारा की गई जांच में यह भी जाहिर हुआ है कि आवंटी के पास पूर्व में अपने रहने के लिए गांव में घर मौजूद है। अर्थात्, अप्रत्यक्ष रूप से यह बात स्वयं सिद्ध है कि जिस व्यक्ति को भूखंड आवंटन किया गया है, उसके पास पहले से एक गृह उपलब्ध है, अतः वह इस आवंटन की पात्रता नहीं रखता है।

अतः उक्त विवेचन के फलस्वरूप ग्राम पंचायत सेलागुड़ा द्वारा जारी विवादित पट्टा संख्या 06, दिनांक 22.07.2019, विधिक प्रावधानों के अनुरूप जारी नहीं किया गया है तथा इसमें आवंटी की पात्रता की जांच नहीं की गई है। अतः निगरानी याचिका को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

**:: आदेश ::**

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सेलागुड़ा द्वारा जारी पट्टा संख्या 06 दिनांक 22.07.2019 को निरस्त किया जाता है

(अरुण कुमार हसीजा)  
जिला कलक्टर  
राजसमंद

निर्णय आज दिनांक: 06.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरुण कुमार हसीजा)  
जिला कलक्टर  
राजसमंद

